कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 29.06.2026

□थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा 25000/-रुपए का इनामिया 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

□गौ-तस्करों से 2.5 करोड़ों रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन का खुलासा।

□बैंक विवरण के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा संगठित अन्तर्राज्यीय गो-तस्करी नेटवर्क को आर्थिक सहायता पहुंचायी जा रही है।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में गठित टीम थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र थाना सैयदराजा, मय हमराह, थानाध्यक्ष राजीव मल्ल कन्दवा मय हमराह, थाना अलीनगर के उ0नि0 अनिल यादव मय हमराह, उ0नि0 अजय यादव चौकी प्रभारी जलीलपुर मय हमराह, स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक रामजनम यादव व सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 आशीष मिश्रा के कुशल नेतृत्व में के संयुक्त कार्यवाही में दिनांक-29.06.2026 को मु0अ0सं0 308/2025 धारा 109/111(2)/111(3) बीएनएस में 25000 रुपए का इनामिया वांछित अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र सुभाष सिंह निवासी खुरमाबाद थाना चेनारी जिला रोहतास बिहार उम्र 27 वर्ष को उसके मोबाइल/ हार्ड वेयर शॉप ग्राम खुरमाबाद थाना चेनारी जिला रोहतास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पृष्टि भूमि-

दिनांक 09.10.2025 को थाना सैयदराजा चन्दौली पर मु0अ0सं0 308/2025 धारा 109 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ कि यह 31 लोगो का एक संगठित गिरोह है, जो गो-तस्करी का कार्य करता है। विवेचना के क्रम में धारा 111(2)/111(3) बीएनएस की मुकदमा उपरोक्त में बढोत्तरी की गई। उक्त संगठित गिरोह द्वारा 187 करोड़ का आपसी लेन-देन किया गया है। विवेचना से दिनांक 06.01.2026 को मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र सुभाष सिंह निवासी खुरमाबाद थाना चेनारी जिला रोहतास बिहार उम्र 27 वर्ष का नाम प्रकाश में आया। विवेचना से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अखिलेश

उपरोक्त की एक मोबाइल/ हार्ड वेयर शॉप है। अभियुक्त द्वारा अपने बैक खाता से कुल 4.77 करोड़ रुपया स्थानान्तरण किया गया। जिसके संबंध में कोई वैध अभिलेख अथवा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ एवं अभियुक्त के नाम से कोई सीएससी सेंटर संचालित नहीं पाया गया। जिसमें मोहम्मद अफजल, शेख सुल्तान, सोनू कुरैशी, पवन कुमार, अफजल आदि अन्य लोगो को गौ-तस्करो से सम्बन्धित लेन-देन करीब 2.5 करोड़ रुपया किया गया है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र सुभाष सिंह नि. खुरमाबाद थाना चेनारी जिला रोहतास बिहार द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा अपने बैक खाता से मोहम्मद अफजल, शेख सुल्तान, सोनू कुरैशी, पवन कुमार, अफजल आदि अन्य लोगो को रुपया स्थानान्तरण कर गो तस्करी जैसै कार्य कराया जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अखिलेश कुमार पुत्र सुभाष सिंह नि. खुरमाबाद थाना चेनारी जिला रोहतास बिहार उम्र 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 308/2025 धारा 109/111(2)/111(3) बीएनएस थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली